न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 75/2014

अनवान : –

1. माया देवी पत्नी भागीरथ जाति कुम्हार निवासी रावतसर तहसील रावतसर।

– वादीया

बनाम

1. रणजीत वल्द बिरबलराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **वादीया**
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 18/02/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा लाखासर के खाता स0 193/171 के ख0न0 20/474 की 3.0350 हैक्ट भूमि वादीया व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है।

वादीया ने उक्त भूमि में से 16.07.2008 को प्रतिवादी स0 1 से 0.759 हैक्ट भूमि खरीद की थी मुताबिक खरीद के वादीया अपने हक हिस्सा पर काबिज है लेकिन वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है वादीया अपने हक हिस्सा व अच्छी मंदी भूमि के मुताबिक अपना खाता व लगान अलग करवा पाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें रोही मौजा लाखासर के खाता स0 193/171 के ख0न0 20/474 की 3.0350 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री मांगेराम गोदारा उपस्थित। वाद वादीया प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार [illegible] प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। [illegible] बहस वकील वादीया व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव [illegible] किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:48:13 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा लाखासर के खाता स0 193/171 के ख0न0 20/474 की 3.0350 हैक्ट भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. मदनलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा नोहर– ख0न0 203/474 मे से 1.517 हैक्ट बारानी1
2. मायादेवी पत्नी भागीरथ जाति कुम्हार सा0 रावतसर खातेदार – ख0न0 203/474 में से 0.759 हैक्ट बारानी 1
3. रणजीत पुत्र बीरबलराम जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा नोहर– ख0न0 203/474 में से 0.759 हैक्ट बारानी 1

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 18/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:48:13 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 75/2014

अनवान : –

1. माया देवी पत्नी भागीरथ जाति कुम्हार निबासी रावतसर तहसील रावतसर।

– वादीया

बनाम

1. रणजीत वल्द बिरबलराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 75 सन 2014 निर्णय दिनांक 18/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा लाखासर के खाता स0 193/171 के ख0न0 20/474 की 3.0350 हैक्ट भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. मदनलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा नोहर–ख0न0 203/474 मे से 1.517 हैक्ट बारानी1
2. मायादेवी पत्नी भागीरथ जाति कुम्हार सा0 रावतसर खातेदार – ख0न0 203/474 में से 0.759 हैक्ट बारानी 1
3. रणजीत पुत्र बीरबलराम जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा नोहर–ख0न0 203/474 में से 0.759 हैक्ट बारानी 1

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:48:13 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर